



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15947

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 611 सन् 2026

हरीश चंद्र

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: इरफान अहमद मलिक

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की दलीलें सुनीं।
- स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनका चयन वर्ष 1982 में पुलिस कांस्टेबल के रूप में हुआ था और उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में वे सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और 31.12.2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, अब द्वितीय प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ, जिला मेरठ द्वारा दिनांक 05.06.2024 को पारित आदेश के अनुसार उनका वेतन 66,000/- रुपये से घटाकर 62,200/- रुपये कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन है कि उन्होंने धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी नहीं की है, याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था। इस संबंध में **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), 2015 (4) एससीसी 334 और थॉमस डेनियल बनाम स्टेट ऑफ केरल और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 के निर्णयों का हवाला दिया गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि नियोक्ता के लिए त्रुटियों को सुधारना हमेशा संभव है, हालांकि, उनके अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया गया था।

5. मैंने बार में दिए गए इस प्रकार के निवेदन को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. स्पष्टतः, आरोप कुछ ऐसे लाभों के विस्तार से संबंधित है जिनके लिए याचिकाकर्ता हकदार नहीं था। **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य बनाम (1994) 6 एससीसी 154** में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए आदेश दिनांक 25.7.1991 का ज्ञापन, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की थी। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी निरस्त करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था। "

7. चूंकि चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया था कि आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

8. सभी तथ्यों और संबंधित पक्षों के रुख को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आगे कोई विचार किए बिना, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शब्दों में करता है:

(क) मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 05.06.2024 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

21 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।